न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

प्रा0पत्र संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15 / 85 / 2022	2022 / 127	11.04.2022	14.11.2022

1. उदयसिंह
2. अभयसिंह
3. हंसराम पुत्रान चन्दरी उर्फ चन्दा पत्नी श्योजीराम जाति अहीर
4. तारा पुत्री सुलतान जाति अहीर निवासीयान ग्राम बीलाहेडी तहसील कोटकासिम जिला अलवर।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. रामचन्द्र
2. घमण्डी
3. भुल्लड
4. ललसिंह पुत्रान थावरिया
5. स्तपाल
6. वीरसिंह पुत्रान भुल्लड
7. सतेन्द्र पुत्र आशाराम जाति अहीर निवासीयान ग्राम सलारपुर तहसील तिजारा जिला अलवर
8. पंजाब नेशनल बैंक शाखा मिलकपुर गुर्जर तिजारा जिला अलवर।
9. तहसीलदार तिजारा जिला अलवर राज0।
10. उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला अलवर राज0।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः—
01. श्री मनीष कुमावत —वकील प्रार्थी

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी तिजारा के न्यायालय में विचाराधीन राजस्व वाद बअनुवानी सुलतान बनाम रामचन्दर को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया।

विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा विचाराधीन वाद के समर्थन में दस्तावेज साक्ष्य व जुबानी साक्ष्य पेश कर दिये तथा दावे में अंतिम बहस हेतु तारीख पेशी नियत की गयी। पीठासीन अधिकारी पत्रावली को अपने पास रखे हुए है। दिनांक 09.03.2022 को पेशी में पत्रावली न्यायालय में नहीं आई जिस पर प्रार्थीगण ने पीठासीन अधिकारी से पत्रावली तलाश किये जाने का निवेदन किया तो पीठासीन अधिकारी ने न्यायालय में खुलेआम कहा कि मैनें पत्रावली देख ली है तथा उसमें निर्णय लिखाउंगा तथा वादीगण का दावा साबित नहीं हो रहा है। इस प्रकार पीठासीन अधिकारी ने बिना प्रार्थीगण की बहस सुने ही अपनी जाहिर कर दी। जिससे प्रार्थीगण को यह अंदेशा हो गया है कि उनके विरूद्ध निर्णय पारित करेंगे। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त प्रार्थना—पत्र स्वीकार फरमाया जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा में विचाराधीन राजस्व वाद को किसी दीगर न्यायलय में मुन्तकिल फरमाया जावें। वकील अप्रार्थी अनुपस्थित है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया कि विचाराधीन वाद पत्रावली प्रा0पत्र आदेश 22 नियम 3 के जवाब में है। आरोपित तथ्य मनगढंत है। किसी भी पक्षकार का कोई पक्ष नहीं लिया जा रहा है और ना ही पीठासीन अधिकारी द्वारा इस तरह की कोई बाते कही गयी है।

जिला कलक्टर, अलवर

हमनें पत्रावली एवं वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। उपखण्ड अधिकारी तिजारा ने प्रार्थना पत्र के बिन्दूओं को स्वीकार/अस्वीकार करते हुऐं अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा मुंतकिल प्रा0पत्र में अंकित कथन मात्र काल्पनिक एवं मनगढंत है। विचाराधीन वाद पत्रावली प्रा0पत्र आदेश 22 नियम 3 के जवाब में है। आरोपित तथ्य मनगढंत है। किसी भी पक्षकार का कोई पक्ष नहीं लिया जा रहा है और ना ही पीठासीन अधिकारी द्वारा इस तरह की कोई बाते कही गयी है। प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र मुंतकिल के संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति का शपथ–पत्र पेश नहीं किया है। प्रार्थना पत्र मुंतकिल करने के संबंध में प्रार्थी द्वारा कोई ठोस साक्ष्य/सबूत भी पेश नहीं किये गये है। प्रार्थना–पत्र मुंतकिल खारिज योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मुन्तकिल खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा प्रकरण में नियमानुसार सुनवाई कर प्रकरण का विधिवत निस्तारण करें। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2022 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर, अलवर
(राजस्थान)

जिला कलक्टर अलवर